

उन्नीसवीं सदी में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक सुधारकों द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना

उन्नीसवीं शताब्दी में जहाँ एक ओर महिलाओं की शोचनीय दशा अपनी परमाणा पर पहुँच गई थी, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज में सुधार आंदोलनों द्वारा इस स्थिति में सुधार के प्रयास होने लगे। जर्म और समाज में व्याप्त अनेक क्रूरियों और अंध-विश्वासों को दूर करने हेतु जो एक नई-नया उत्पन्न हुई उसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई। सर रामजीपल शर्मा का मत है कि "इस पुनर्जागरण के मूल में ही सुधार की प्रेरणा काम कर रही थी - पारचाय तथा यूरोपीय सभ्यता से सम्पर्क तथा प्राचीन भारत की गौरवमय संस्कृति परम्परा। अंग्रेजी भाषा तथा शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीय समाज में एक नवीन बुद्धिजीवी मध्यवर्गी का उदय हुआ, जिसने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन कर हिंदूत्व को संशोधित रूप प्रस्तुत किया तथा पारचाय आधुनिक विचारों को भी अपनाया। सुधारवादी प्रयास जन आंदोलनों की रूप में हुए तथा कुछ प्रमुख भारतीयों द्वारा व्यक्ति: रूप में भी हुए, जो इस प्रकार

1. ब्रह्म समाज - (1828 ई०) -

ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहनराय का जीवन काल (1772-1833) था। उन्होंने 1828 ई० में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म का तर्क-समत संशोधित स्वरूप प्रस्तुत करना था तथा सामाजिक एवं धार्मिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करना था।

राजा राममोहनराय ने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ जैसे बाल-विवाह, बहु-विवाह स्त्री-अशिक्षा, सती प्रथा जैसे अनेक कुरीतियों को विरोधी था। उनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिन्क ने सती प्रथा को 1829 ई० में कानून बनाकर अवैध घोषित कर दिया। वे स्त्री-शिक्षा तथा स्त्रियों के सम्मानकारी के पक्षपाती थे। वे पारंपरिक शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। कलकत्ता में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की।

उनकी मृत्यु के बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर देवेन्द्र नाथ ठाकुर तथा विश्वचंद्र सैन ने संघों को आगे बढ़ाया। सैन के आग्रह पर सरकार ने "सिविल मैरिज एक्ट" बनाया। इसके अनुसार पुरुष तथा वधू की विवाह हेतु आयु क्रमशः 18 वर्ष व 14 वर्ष नियत कर दी गई।

2. आर्य समाज - (1875 ई०) -

आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद (1814-1883) ने 1875 ई० में की।

उन्होंने समाज में व्याप्त बाल-विवाह, बहु-विवाह, पदा प्रथा का विरोध किया।

उन्हीं द्वारा रचित ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' में महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिए जाने पर बल दिया गया। वे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति तथा प्राचीन शिक्षा पद्धति में वैदिक शिक्षा को अग्रिवाय अंग मानते थे। उन्होंने लाहौर में "श्रीमती वैदिक कॉलेज" की स्थापना की।

3) धियोसौमिकल सोसाइटी -

कनल रचणंसं डालाकाट व सुत्री रचणं भी ब्लैक-टास्की ने मद्रास के निवृत्त डाइयार नामक स्थान पर 1886 ई० में धियोसौमिकल सोसाइटी की स्थापना की।

उन्होंने सभी धर्मों का समन्वय कर विश्व-बंधुत्व की भावना के विकास पर बल दिया। बाद में श्रीमती रूनी वेलेट ने इस आंदोलन की काफी प्रशंसा दी। उन्होंने भारतीय महिलाओं की मानसिक हिनता एवं दासता को दूर करने का प्रयत्न किया तथा इनमें राजनीतिक चेतना जागृत की।

4) रामसूक्ता मिशन (1897 ई०) -

रवानी विवेकानन्द (1862-1902) द्वारा 1897 ई० में स्थापित 'रामसूक्ता मिशन' संस्थान ने वेदोंत प्रचार के अतिरिक्त समाज सुधार एवं मानव सेवा के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा धार्मिक झेलविरोधों एवं कुरीतियों का विरोध किया। उनका कथन था कि "संसार की सभी जातियाँ नारियों का समुचित सम्मान करें।"

ही महार हुई है। जो जाति नारियों का सम्मान करना नहीं जानती, वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी है और न आगे उन्नति कर सकेगी। उन्होंने नारियों की स्वतंत्रता पर बल दिया और स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया।

5. प्रार्थना समाज -

इसकी स्थापना श्री केशवचन्द्र सेन की प्रेरणा से की गई। प्रार्थना समाज ने जाति-प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया।

इन समाज सुधारकों के अतिरिक्त कुछ ~~प्रमुख~~ महार विभूतियों ने भी महिलाओं का स्थिति सुधारने का प्रयास किया। जैसे -

सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को शिक्षित करने व महिलाओं को बहु विवाह, बाल विवाह तथा पर्दा-प्रथा जैसे अनेक चुरीयों से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न किया। 1875 ई० में उन्होंने अलीगढ़ में "मोहम्मद रेंजली औरिरणल कॉलेज" की स्थापना की जो आगे चलकर 1890 ई० में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना।

महादेव जीविंद रानडे ने इन सामाजिक प्रथाओं को खीर मिटा दी जो स्त्रियों को अशिक्षित ही बनाए रखती थी और जिनकी दृष्टि में उन्हें शिक्षा देना बुरा था। उन्होंने कहा कि नारी

आरिदा रूपा सामाजिक समस्या है। इसके शस्त्री की
कॉन्सिडरेंस आफ आरिदा रूपावत आरिदा कॉन्सिडरेंस नहीं
बालिक लीकामत को आग्रत करने का है। उन्होंने
विधवाओं के पुनर्विवाह का पक्ष लिया तथा
1866 ई० में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति
(Widow Women Association) के सदस्य बने।

बाल गंगाधर तिलक - (1856-1920) -

इन्होंने सामाजिक सुधारों के प्रथम
महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट किया। वे समाज सुधार
के मामले में किसी भी प्रकार के बल प्रयोग
के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि सुधारों में
पक्ष में सामाजिक चेतना पैदा की जाए, उनको
कागून द्वारा जनता पर धोषा न जाए।

इश्वरचन्द्र विद्यासागर -

ये महिला कल्याण के प्रबल
समर्थक थे। इन्होंने वे प्रयत्नों के फलस्वरूप 26 अक्टूबर
1956 को "हिन्दू विडीज मैरिज एक्ट" पारित हुआ
असके अनुसार विधवा विवाह को कागून समत
बना दिया गया और विवाहित विधवाओं के
बच्चों को भी वैध बच्चों का दर्जा मिल गया।

रमाकांड

पंडिता रमाकांड ने बंगाल में कुलीन
वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें
अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का आंदोलन आरंभ
किया। उन्होंने 'आर्य महिला समाज' नामक

सेखा स्थापित की तथा 1882 ई० में लॉर काशीर
के समक्ष नारी शिक्षा विकास के संबंध में
सुझाव रखे। 1889 ई० में बम्बई में निराश्रित
विधवाओं के लिए इन्होंने 'शारदा सदन'
नामक सेखा स्थापित की।

इस प्रकार उपरोक्त समाज सुधारकी
प्रयासों के फलस्वरूप समाज में महिलाओं
की स्थिति सुधरने हेतु जनमत जाग्रत
हुआ और इस दिशा में काफी प्रगति
हुई।